

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर 2020-भाद्र 25, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2020

क्र. एफ-3-11-2020-एक-10.- मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक--37 सन् 1981) की धारा-13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशांसा पर, एतद्द्वारा, श्री शरद कुमार क्षोत्रिय, सेवानिवृत्त, संयुक्त कलेक्टर को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 03 वर्ष के लिए संभागीय सतर्कता समिति, इंदौर संभाग, इंदौर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मधु नाहर, उपसचिव,